2021/57

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री करणीदान पुत्र श्री दीपदान जाति चारण निवासी उड़ तहसील व जिला सिरोही पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री शैतानसिंह पुत्र श्री उमरावसिंह जाति चारण निवासी उड तहसील व जिला सिरोही।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं. 06 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.03.2021	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना बरलूट जिला सिरोही के सी. आर. नं. 56 दिनांक 01.03.2021 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का मिनी टेंकर नम्बर आरजे 24 जीए 4119 पकडा गया हैं जिसमें 1500 लीटर डीजल भरा हुआ है । उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 10.03.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 01.03.2021 को वक्त 11.13 ए.एम. पर श्रीमती अनीता रानी नि. पु. थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही ने उप अधीक्षक पुलिस सिरोही को सूचना दी कि श्री चम्पालाल नि.पु. प्रभारी डीएसटी सिरोही मय उनके जाब्ता द्वारा विजय पताका मन्दिर सिरोही से थोडा पहले एक मिनी टैंकर को रूकवाया गया है जिसमें अवैध डीजल भरा हुआ है, तथा उक्त डीजल को अवैद्य रूप से खरीद कर संचय कर अन्य लोगो को मुनाफा कमाने हेतु उच्च दामों में बेच रहा है कार्रवाई हेतु आवें उक्त सूचना मिलने पर मौके पर पहुचें तो विजय पताका मन्दिर से थोडे पहले सिरोही की तरफ जाने वाले हाइवे पर [illegible] आरजे 24 जीए 4119 को चैक करने पर उसमें डीजल भरा हुआ था। डीजल के सम्बन्ध में चालक श्री क[illegible]सिंह उर्फ काला पुत्र मलकारसिंह [illegible] को पालडी की तरफ हाइवे होटलों पर [illegible] टेंकरों से सस्ते भाव में खरीदना बताया। तथा श्री शैतानसिंह चारण के कहने से उसके पास उड लेकर जाना बताया। जो उच्च दामों में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है इस प्रकार	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण डीजल के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री रामकरण वैष्णव व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री करनेलसिंह उर्फ काला पुत्र श्री मलकारसिंह जाति चारण निवासी तमसाबाद थाना पानीपत जिला पानीपत (हरियाणा) हमेशा की तरह वाहन में डीजल भरकर एस.आर. पम्प उड़ से मय बिल अपने अनुबंधित टैंकर जो हाइवे टू हाइवे चलते है, में भरने हेतु जा रहा था । रास्ते में थाना सिरोही की सरहद में पुलिस ने उसके वाहन को रोककर जॉच की तो उसमें 1500 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन एवं डीजल को कब्जे सरकार लिया गया । प्रार्थी डीजल का एक मात्र स्वामी है। डीजल के थाने में पडे रहने से उसका वाष्पीकरण होकर खराब हो जायेगा डीजल ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आग लगने की संभावना है जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा डीजल से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है ।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973-Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन एवं डीजल का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द क[illegible] आदेश [illegible] ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:26 IST
Reason: SelfAttested

अभियोज[illegible] प्रार्थी [illegible] के [illegible] का विरोध करते हुए निवेदन किया [illegible] चालक द्वारा डीजल की चोरी कर [illegible] करते हुए उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक [illegible] अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

ऐसी स्थिति में डीजल एवं वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना सिरोही के मुकदमा संख्या 56 दिनांक 01.03.2021 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक संख्या आरजे 24 जीए 4119 में डीजल 1500 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही के एफ आई आर क्रमांक 56 दिनांक 01.03.2021 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक संख्या आरजे 24 जीए 4119 में 1500 लीटर डीजल चोरी करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है। डीजल को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक एवं डीजल स्वामी को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान क[illegible]00/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर [illegible] जा[illegible]। डीजल के संबंध में प्रार्थी अ[illegible] द्वारा दिये गये [illegible] एवं अभियोजन पक्ष द्वारा [illegible] से यह पाया जाता है कि वाहन में भरा [illegible] डीजल चोरी का होना अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में असफल साबित हुए है । केस डायरी का अवलोकन करने पर इनवॉइस में प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

कम्पनी पार्वती दरियाव फिलींग स्टेशन खसरा नं. 148, सिरोही–जालोर रोड़ उड जिला सिरोही के नाम दर्ज है । जिससे पाया जाता है कि उक्त मिनी टेंकर उड से पालड़ी एम एस.आर. डिपो में जो अनुबंधित टैंकर में भरने हेतु ले जाया जा रहा था। केस डायरी का अवलोकन करने पर पाया कि पुलिस द्वारा फर्द निरीक्षण घटना स्थल में बनाये गये नक्शें में बताया गया है कि विजय पताका मन्दिर से पहले सिरोही की तरफ हाइवे रोड पर अपने अनुबंधित ट्रक में डीजल खाली किया जाना प्रतीत होता है इस प्रकार यह प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है कि टेंकर में भरा हुआ डीजल चोरी का होना नही माना जा सकता है।

थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही द्वारा केस डायरी प्रस्तुत की गई जिसमें वाहन एवं डीजल मालिक को पक्षकार बनाया गया है। डीजल जल्द ज्वलनशील होने वाली वस्तु हैं, जिसका निस्तारण करना आवश्यक हैं ।

अतः वाहन में भरे हुए डीजल 1500 लीटर को उसके मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 1500 लीटर डीजल को वर्तमान दर के अनुसार वाहन मालिक से रूपये 1,40,000/– (अक्षरे रूपये एक लाख चालीस हजार) की बैंक गारन्टी पर पार्वती दरियाव फिलींग स्टेशन खसरा नं. 148, सिरोही–जालोर रोड़ उड जिला सिरोही को सुपुर्द करने हेतु प्रार्थी को देने के आदेश दिए जाते हैं ।

जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 1500 लीटर डीजल जो मिनी टेंकर नं. आर.जे. 24 जीए 4119 में भरा हुआ है, को उसके स्वामी को जो पार्वती दरियाव फिलींग स्टेशन खसरा नं. 148, सिरोही–जालोर रोड़ उड जिला सिरोही है, को सुपुर्द करें।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच [illegible] सुपुर्द हेतु जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मय पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:26 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

148,

17.03.2021	माफिक आदेश पार्वती दरियाव फिलींग स्टेशन खसरा नं. 148 सिरोही जालोर रोड उड़ जिला सिरोही कम्पनी के आम मुख्तियार होल्डर करणीदान पुत्र श्री दीपदान जी जाति चारण निवासी उड तहसील व जिला सिरोही द्वारा सुपुर्दगीनामा एवं श्री हरिसिंह बारहठ पुत्र श्री शंकरदानजी जाति चारण निवासी हाउसिंग बोर्ड सिरोही तहसील व जिला सिरोही द्वारा जमानतनामा हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । मिनी टेंकर नम्बर आर.जे. 24 जी.ए. 4119 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 4,50,000/- (अक्षरे रू. चार लाख पचास हजार) एंव डीजल हेतु 1,40,000/- एक लाख चालीस हजार रूपये की बैंक गारन्टी/एफ.डी. खाता सं. 61022397858 एस. बी.आई जावाल जिला सिरोही की दिनॉक 17.03.2021 को प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है । आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश वाहन एंव डीजल सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सिरोही को भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner